26.11.24

मामलानि फोरा। बकिलपा मकालांन इम। बाद,
बादिगिरा स्वीकार खिला जानाय, बिवाद
निर्वाह सूचक ते लिखनाय जानाय श्रा·मा.
खिला जाना। फाइलखौ डिस्मि गारि मानाय।
मामलानि कैफियत थुखाम की जानाय
नकलनि बाखिनो दिनायबाय

उप खण्ड अधिकारी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सॉंगोद जिला कोटा।

बइजलास रामावतार मीणा (आर.ए.एस.)

मि0 नं0 02/2023 दावा/बउनवान/सज्जनसिंह/कंवरलाल वगैरा

सज्जनसिंह आयु 66 साल पुत्र श्री लक्ष्मणसिंह जाति चारण निवासी एफ, 180 रमेश मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर। पिन कोड 302001. –वादी–

–बनाम–

1. कंवरलाल पुत्र श्री प्रभूलाल जाति माली निवासी ग्राम थूनपुर तहसील सांगोद,
2. राममूर्ति पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री जोधराज जाति माली निवासी ग्राम चोमा बीबू तहसील दीगोद जिला कोटा
3. श्यामबाई पुत्री श्री प्रभूलाल पत्नी श्री राजेन्द्र जाति माली निवासी सांगोद रोड जाखोडा पेट्रोलपम्प के पास, इंटों का भट्टा, ग्राम कैथून तह0 लाडपुरा जिला कोटा,
4. जगदीश प्रसाद पुत्र गोबरीलाल जाति माली निवासी ग्राम केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा,
5. उतरा पुत्री गोबरीलाल पत्नी श्री महेन्द्र जाति माली निवासी रंगबाडी बालाजी के पास, ग्राम सुल्तानपुर तहसील दीगोद जिला कोटा,
6. गायत्री पुत्री गोबरीलाल पत्नी श्री बाबूलाल जाति माली निवासी ग्राम आलनिया तहसील लाडपुरा जिला कोटा,
7. मूली उर्फ भूली पुत्री गोबरीलाल पत्नी श्री जितेन्द्र जाति माली निवासी ग्राम केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा,
8. मोहनी पुत्री गोबरीलाल पत्नी श्री देवीलाल जाति माली निवासी ग्राम झाड आमली तहसील कनवास जिला कोटा,
9. शान्तिबाई बेवा श्री गोबरीलाल जाति माली निवासी ग्राम केवलनगर तहसील लाडपुरा जिला कोटा,
10. संजूबाई पत्नी श्री कुंजबिहारी जाति धाकड निवासी ग्राम अडूसा तहसील सांगोद जिला कोटा,
11. राज्य सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार सॉंगोद तहसील सॉंगोद जिला कोटा,

–प्रतिवादीगण–

वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

––:: निर्णय ::–– दिनॉक :– 26.11.2024

वादी ने इस न्यायालय में एक वादपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि वादी व प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 10 के शामलाती खाते एवं कब्जेकाश्त की खसरा नंबर 365 रकबा 1.20 हैक्टर, खसरा नंबर 366 रकबा 0.90 हैक्टर, खसरा नंबर 367 रकबा 0.02 हैक्टर, खसरा नंबर 368 रकबा 3.10 हैक्टर, खसरा नंबर 373 रकबा 0.85 हैक्टर, खसरा नंबर 374 रकबा 1.47 हैक्टर कुल

उपखण्ड अधिकारी
सॉंगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

किता 6 की कुल 7.54 हैक्टर आराजी वाके ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा 1/6 निहित है। वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 द्वारा अपने-अपने हिस्से मुताबिक वादग्रस्त आराजी का मौके पर आपसी सहमति से विभाजन कर रखा है व मौके पर वादी व प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 पृथक-पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं किन्तु मुताबिक विभाजन राजस्व रिकार्ड में अंकन नहीं होने के कारण वादी को अपने हिस्से व कब्जेकाश्त की आराजी का पृथक उपयोग-उपभोग करने एवं सरकारी कृषि योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में काफी परेशानी का सामना करना पडता है। पक्षकारान मुताबिक विभाजन मौके पर निम्न प्रकार से पृथक-पृथक काश्त करते चले आ रहे हैं :-

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सज्जनसिंह :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 1.15 हैक्टर
	374	1.47 में से 0.11 हैक्टर पश्चिमी-दक्षिणी
कुल किता 2 की		कुल 1.26 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा स्व.प्रभूलाल के वारिसान प्रतिवादी कं. 1 लगायत 3 :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	367	0.02 हैक्टर
	368	3.10 में से 2.49 हैक्टर उत्तरी
कुल किता 2 की		कुल 2.51 हैक्टर

स.आराजी हिस्सा व कब्जा स्व.गोबरीलाल के वारिसान प्रतिवादी कं. 4 लगायत 9 :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 0.05 हैक्टर
	366	0.90 हैक्टर
	368	3.10 में से 0.61 हैक्टर दक्षिणी
	373	0.85 हैक्टर
	374	1.47 में से 0.10 हैक्टर उत्तरी
कुल किता 5 की		कुल 2.51 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी कं. 10 छोटूलाल(केता संजूबाई) :-

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 0.05 हैक्टर

वादी द्वारा वादपत्र में यह भी अंकित कि मौके के पारिवारिक विभाजनानुसार राजस्व रिकार्ड में खाता विभाजन करवाने के लिए वादीगण द्वारा गत सप्ताह प्रतिवादी कं. 1 लगायत 10 से निवेदन किया तो उन्होने तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर खाता विभाजन में सहयोग करने से इन्कार कर दिया। यदि वादग्रस्त आराजी में निहित वादी की हिस्सा आराजी का खाता व लगान

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

पृथक नहीं किया जाता है तो वादी को अपरिमित क्षति व असुविधा का सामना करना पड़ेगा। ऐसी परिस्थितियों में वादग्रस्त आराजी का खाता विभाजन करवाने हेतु माननीय न्यायालय में यह वादपत्र संस्थित करना आवश्यक हो गया है। वादकारण गत सप्ताह वादी द्वारा प्रतिवादीगण से तहसील कार्यालय में उपस्थित होकर खाता विभाजन करवाने का निवेदन करने पर प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 10 द्वारा विभाजन में सहयोग करने से इन्कार करने पर उत्पन्न हुआ। भूमिधारी होने से राज्य सरकार को वाद में पक्षकार बनाया गया है। विवादग्रस्त आराजी माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद में स्थित होने से माननीय न्यायालय को उक्त वादपत्र का श्रवण करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। वादपत्र का मूल्यांकन वास्ते विभाजन हेतु 2,000/–रुपये नियत किया जाकर वादपत्र उचित न्यायालय शुल्क पर अवधिमध्य अविलम्ब पेश है। अतः वाद पेश कर निवेदन है कि माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद में स्थित वादग्रस्त आराजी का वादपत्र की चरण संख्या 2 के खण्ड अ, ब, स, द में वर्णित आपसी सहमति के विभाजनानुसार पक्षकारान का खाता व लगान पृथक–पृथक अंकित किये जावे तथा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर मौके पर पत्थरगढी कर सीमांकन किया जावे।

वादी की ओर से उपरोक्त आशय का वादपत्र प्रस्तुत होने पर वादपत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बाद तलबी प्रतिवादीगण की ओर से जवाबदावा इकबाली पेश कर दावा वादी स्वीकार करने में सहमति व्यक्त की। पत्रावली पर उपलब्ध पक्षकारों के अभिवचनों, रेकार्ड, दस्तावेजात के अनुसार दावा वादी स्वीकार करना उचित समझता हूं।

अतः दावा वादी स्वीकार कर माल ग्राम मण्डीता तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित वादग्रस्त आराजी का पक्षकारों को निम्न प्रकार से पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

अ. आराजी हिस्सा व कब्जा वादी सज्जनसिंह :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 1.15 हैक्टर
	374	1.47 में से 0.11 हैक्टर पश्चिमी–दक्षिणी
कुल किता 2 की		कुल 1.26 हैक्टर

ब. आराजी हिस्सा व कब्जा स्व.प्रभूलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रं. 1 लगायत 3 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	367	0.02 हैक्टर
	368	3.10 में से 2.49 हैक्टर उत्तरी
कुल किता 2 की		कुल 2.51 हैक्टर

स.आराजी हिस्सा व कब्जा स्व.गोबरीलाल के वारिसान प्रतिवादी क्रं. 4 लगायत 9 :–

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 0.05 हैक्टर
	366	0.90 हैक्टर

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

Scanned with OKEN Scanner

368	3.10 में से 0.61 हैक्टर दक्षिणी
373	0.85 हैक्टर
374	1.47 में से 0.10 हैक्टर उत्तरी
कुल किता 5 की	कुल 2.51 हैक्टर

द. आराजी हिस्सा व कब्जा प्रतिवादी क्रं. 10 संजूबाई :—

ग्राम	ख.नं.	रकबा
मण्डीता	365	1.20 में से 0.05 हैक्टर

तहसीलदार सांगोद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर पक्षकारान के खाते व लगान पृथक—पृथक अंकित करे। तद्नुसार अन्तिम डिक्री मुर्तिब की जावे।

निर्णय आज दिनॉक 26.11.2024 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
(सआदतार मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
सॉगोद

Scanned with OKEN Scanner